न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

राजस्व अपील संख्या : 12/11/2026 GCMS No. 2026/51

दर्ज दिनांक : 09-04-2026

निर्णय दिनांक : 13/5/2026

चन्दूलाल पुत्र दयाराम, उम्र लगभग 80 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बधाना, तहसील कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

—अपीलार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

—प्रत्यर्थी—

अपील अंतर्गत : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक : 15.01.2026

मूल प्रकरण संख्या : 01/2025

मूल प्रकरण : राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का बधाना बनाम चन्दूलाल

विषय : धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अतिक्रमण संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील

निर्णय

यह राजस्व अपील नायब तहसीलदार, कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए ग्राम बधाना स्थित राजकीय भूमि, आराजी खसरा संख्या 2095/1268, किस्म गैरमुमकिन नदी, रकबा 9.9500 हैक्टेयर में से रकबा 0.50 हैक्टेयर पर गेहूँ एवं 0.04 हैक्टेयर पर सरसों की फसल बोकर अतिक्रमण किया जाना मानते हुए आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि विवादित भूमि वास्तव में उसकी/उसके परिवार की खरीदशुदा या दादलाई/खातेदारी भूमि है, जिसका पुराना खसरा नंबर 329/742 बताया गया है; भूमि नदी नहीं है; मौके पर पटवारी ने सही रिपोर्ट नहीं बनाई; और अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजों का समुचित परीक्षण नहीं किया। अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की प्रकृति गलत दर्ज है और उसकी दुरुस्ती संबंधी कार्यवाही पृथक न्यायालय में लंबित है।

मैंने अपील-पत्र, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय भूमि तथा गैरमुमकिन नदी के रूप में दर्ज है। पटवारी हल्का बधाना की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 की कार्यवाही प्रारम्भ की गई और अपीलार्थी को नोटिस देकर जवाब का अवसर दिया गया। अपीलार्थी ने अपना प्रतिवाद प्रस्तुत किया, किन्तु उसके पक्ष में ऐसा कोई सक्षम न्यायालयीय आदेश, अधिकार-घोषणा या स्थगन आदेश अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि वर्तमान राजस्व प्रविष्टियाँ अप्रभावी हो चुकी हैं या भूमि पर उसका विधिसम्मत अधिकार घोषित हो चुका है।

मात्र यह कहना कि भूमि खरीदशुदा, दादलाई या खातेदारी है, तब तक पर्याप्त नहीं माना जा सकता जब तक उसके समर्थन में कोई प्रभावी और बाध्यकारी आदेश उपलब्ध न हो। यदि अपीलार्थी का यह कथन है कि भूमि की प्रकृति, खसरा संख्या अथवा अभिलेखीय प्रविष्टियाँ त्रुटिपूर्ण हैं, तो उसके लिए उपयुक्त मंच पर पृथक कार्यवाही करना उसका अधिकार है; परंतु जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड दुरुस्त न किया जाए अथवा कोई

स्थगन आदेश प्राप्त न हो, तब तक राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए धारा 91 की कार्यवाही करना अवैध नहीं कहा जा सकता।

अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड तथा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद से यह स्थापित नहीं होता कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अभिलेख-विरुद्ध, विधि-विरुद्ध या अधिकारिता से परे है। इस स्तर पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि केवल इस कारण कि अपीलार्थी ने रिकॉर्ड दुरुस्ती या स्वत्व संबंधी दावा किया है, धारा 91 की कार्यवाही स्वतः निष्प्रभावी हो जाए।

अपीलीय अधिकारिता में हस्तक्षेप तभी अपेक्षित है जब अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण, विधि-विरुद्ध या गंभीर प्रक्रिया-दोष से युक्त हो। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता। उपलब्ध सामग्री से यही परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर विधि अनुसार आदेश पारित किया है।

अतः समस्त अभिलेखीय सामग्री, अपील के आधारों तथा विवादित आदेश पर विचार करने के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपील निराधार है और इसमें हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता।

आदेश

1. अपीलार्थी **चन्दूलाल पुत्र दयाराम, निवासी ग्राम बधाना, तहसील कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा** द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील **खारिज** की जाती है।
2. नायब तहसीलदार, कोटकासिम द्वारा मूल प्रकरण संख्या **01/2025** में पारित आदेश दिनांक **15.01.2026** **यथावत् कायम** रखा जाता है।
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी भविष्य में किसी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी से अपने पक्ष में अधिकार घोषणा अथवा स्थगन आदेश प्राप्त करता है, तो वह विधि अनुसार उचित कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा।
4. इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित नायब तहसीलदार, कोटकासिम को आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।
5. पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

आदेश आज दिनांक 13/5/2026 **को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)